परिपत्र संख्या 05/2016

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(65)जन/2015/16073 दिनांक : 17/10/2016

–: परिपत्र :–

विषय : "कहीं भी पंजीयन योजना" के अंतर्गत पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज की सम्पत्ति का मौका निरीक्षण, रेफरेन्स, वसूली एवं आडिट आक्षेपों का जवाब देने की कार्यवाही दस्तावेज पंजीकृत करने वाले उप पंजीयक द्वारा किए जाने के संबंध में।

राजस्थान राज्य के जिन शहरों/स्थानों में एक से अधिक पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालय स्थापित हैं उनको अपने पंजीयन उप–जिले के साथ–साथ दूसरे पंजीयन उप–जिलों पर पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत समवर्ती क्षेत्राधिकार (Concurrent jurisdiction) प्रदान कर ऐसे पूर्णकालीन उप पंजीयकों के बीच "कहीं भी पंजीयन योजना" लागू की गई है। समवर्ती क्षेत्राधिकार के फलस्वरूप प्रत्येक उप पंजीयक को कहीं भी पंजीयन योजना के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर समान अधिकारिता प्राप्त होती है।

"कहीं भी पंजीयन योजना" के संबंध में विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ.7(39) जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.15 (05/2015) के बिन्दु संख्या–8 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत पंजीकृत दस्तावेज का मौका निरीक्षण, वसूली आदि कार्यवाही दस्तावेज पंजीकृत करने वाले उप पंजीयक से भिन्न उप पंजीयक से करवाये जाने के निर्देश उक्त विधिक स्थिति से असंगत होने के कारण इन निर्देशों को अपास्त कर कहीं भी पंजीयन योजना के तहत पंजीकृत दस्तावेज के अधीन सम्पत्ति का मौका निरीक्षण, कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स, वसूली एवं आडिट आक्षेपों का जवाब देने आदि कार्यवाहियों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. कहीं भी पंजीयन योजना के तहत पंजीकृत दस्तावेज की सम्पत्ति का मौका निरीक्षण दस्तावेज पंजीकृत करने वाले उप पंजीयक द्वारा अथवा उसके कार्यालय के अधिकृत अन्य कार्मिक द्वारा किया जाएगा।
2. कहीं भी पंजीयन योजना के तहत पंजीकृत दस्तावेज के संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार रेफरेन्स की कार्यवाही दस्तावेज पंजीकृत करने वाले उप पंजीयक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को की जाएगी।
3. दस्तावेज पंजीकृत करने वाले उप पंजीयक द्वारा ही कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण में राजकीय पेरोकार की हैसियत से विभाग की ओर से पैरवी की जायेगी।
4. कलक्टर मुद्रांक द्वारा निर्णय के फलस्वरूप निर्धारित की गयी अंतर स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्कों की वसूली एवं वसूली से संबंधित अन्य कार्यवाहियां संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) के निर्देशों के अंतर्गत संपादित की जायेगी।

अतः "कहीं भी पंजीयन योजना" के अंतर्गत दस्तावेज पंजीयन करने वाले उप पंजीयक द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज को पंजीयन करने एवं उससे संबंधित अन्य समस्त कार्यवाहियां उपरोक्तानुसार करने के संबंध में जारी निर्देशों की सख्ती से पालना की जायें। निर्देशों की पालना नहीं पाये जाने पर इसे गंभीरता से

लिया जायेगा तथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

17-10-2016

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : एफ–7(106)जन/2015/पार्ट–II/16074-16619 दिनांक : 17/10/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
10. उप निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट **igrs.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करने हेतु।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
16. समस्त शाखाऍ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर